FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) नागौर .... मुकाम ....

अचलाराम .... बनाम .... लालाराम बगोरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन .... नं. 268/19 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम बिश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) नागौर	
04/09/19	प्रार्थी वकील उप. / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जारीये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्री मान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी तारीख 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जारीये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको तीस एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उप० नहीं हुआ लिहाजा उनके खिलाफ एक पक्षीय	

[illegible] 14.10.2019

कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों का खेत मेडा मेड आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मेडो पर जो पुरानी माटे व डोल आये हुए थे जो आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिसके कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत के मेडों पर कोई किसी भी प्रकार की पक्की कच्ची माट या सीमा चिन्ह आदि अंकित नहीं होने से बरसात होने पर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेजकशी करवाना आवश्यक है। इसीलिए प्रार्थी का नेजकशी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेजकशी आदेश दिया जावे। तहसीलदार गिड़ा ने बताया कि मौके पर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच तनाजा है।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेजकशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेजकशी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये 500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कमल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
14.10.2016

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 742 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अचलाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी केसुम्बला भाटीयान		लालाराम पुत्र चौखाराम वगैरा निवासी केसुम्बला भाटीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 268 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जोरोणियों की ढ़ाणी व केसुम्बला भाटीयान पटवार हल्का केसुम्बला भाटीयान तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 164, 175 रकबा कमशः 94.03, 54.15 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 743 – 47 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी केसुम्बला भाटीयान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र चौखाराम
4. विप्रार्थीगण लालाराम पुत्र चौखाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु